न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 63 / 18 GCMS id : 2018 / 00111

1. मोहनलाल आत्मज जानकीलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम जाखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०टी०ए०
बाबत घोषणा, दुरूस्ती

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा व राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि —

~ ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर वादी को नियमानुसार दिनांक 18.05.1989 को आवंटित की गई थी।

~ आवंटन उपरान्त दिनांक 10.06.1989 को वादी को उक्त आराजी पर दखल दिया जाकर वादी की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई, जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

~ वादी को उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर बैंक में खाते की नकल लेकर गया तो बैंक वालों ने ऋण देने से मना कर दिया और कहा कि गैरखातेदार को ऋण नहीं मिलता है, पहले खातेदारी में भूमि दर्ज करा के लाओ।

~ वादी उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार हो गया है और बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। इस कारण उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज होने के कारण वादी खातेदार दर्ज कराने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

~ वादी ने प्रतिवादी को उक्त भूमि वादी की गैरखातेदारी से हटाकर खातेदारी में दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

~ वाद कारण, प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर वादी को 10 वर्ष पश्चात भी गैरखातेदार से खातेदार दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती न करने पर व दिनांक 12.09.2018 को अदालत से आदेश लाने की कहने पर पैदा हुआ। इस कारण यह वाद पेश है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि

ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 317 की 0.38 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

~ वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम किशनपुरा कैथून की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये —

1 — : नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057.
2 — : नकल नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.01.1994
3 — : नकल नक्शा आंशिक, संवत 2034, सन् 1977.

4 – : नकल जमाबन्दी संवत 2052–2055.
5 – : नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057.
6 – : नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075.

3- *प्रतिवादी की ओर से प्रकरण का जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी सम्बन्धी न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुये सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई, जिसमें वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि –*

वादी को दिनांक 18.05.1989 को ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर का नियमानुसार आवंटन किया गया था। आवंटन पश्चात दिनांक 10.06.1989 को वादी को उक्त आराजी पर दखल दिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.01.1994 से वादी की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई, जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी को उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर बैंक में खाते की नकल लेकर गया तो बैंक वालों ने ऋण देने से मना कर दिया और कहा कि गैरखातेदार को ऋण नहीं मिलता है, पहले खातेदारी में भूमि दर्ज कराओ। वादी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादी उपरोक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार से खातेदार दर्ज कराने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इस बाबत प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर वादी को 10 वर्ष पश्चात भी गैरखातेदार से खातेदार दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती न करने पर दिनांक 12.09.2018 को वादी ने प्रतिवादी से उक्त भूमि वादी की गैरखातेदारी से हटाकर खातेदारी में दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और खातेदारी में दर्ज कराने के लिये अदालत से आदेश लाने को कहा गया क्योंकि कानूनन 3 साल बाद खातेदारी में दर्ज किये जाने के प्रावधान है। इस कारण वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इसी कारण वादी को यह वाद पेश करना पडा है। अतः निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 317 की 0.38 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की इन्द्राज दुरूस्ती करके वादी को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किये जावे के आदेश प्रदान किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश प्रदान किये जावे। वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

1- RRT 2022 (1), Page 709-711.
2- RRT 2021 (1), Page 376-378.
3- RRT 2021 (1), Page 67-70.
4- RRT 2021 (1), Page 352-354.
5- RRT 2023 (1), Page 73-77.

4- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

☞ वादी को दिनांक 18.05.1989 को ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.01.1994 से वादी की गैरखातेदारी में दर्ज की गई।

☞ वादी अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार 10 वर्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान प्रावधित है। वर्तमान में उक्त आवंटन नियमों में संशोधन कर तीन वर्ष में आवंटी को खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रावधित है। वर्ष 1999 में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि पर काश्त करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। आवंटन शर्तो की पालना करने पर आवंटी को गैरखातेदारी प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आज्ञापक प्रावधान है।

☞ प्रस्तुत प्रकरण में पेश दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादी के नाम गैरखातेदारी में विवादित आराजी दर्ज किये जाने को लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो जिम्मेदारी कानून के तहत धारा 18 नियम 1970 में तहसीलदार को प्रदान की गई है, वह जिम्मेदारी तहसीलदार ने अदृश्य कारणों से नहीं निभाई है।

सहायक कलक्टर (न्यायालय) कोटा

☞ प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जो भी उनके द्वारा प्रेषित नहीं की गई। विवादित आराजी के बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं होने और किसी उच्चस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं होने एवं अन्य कोई विधिक जटिलता नहीं होने की दशा में प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी को दिनांक 18.05.1989 को ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर का आवंटन होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.01.1994 से वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किये लगभग 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार वादी द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्तें पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्तें पूर्ण किया जाना पाये जाने पर आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

9- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

बउनवान :–

1. मोहनलाल आत्मज जानकीलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम जाखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 63 / 18
निर्णय दिनांक : 28-10-2024

GCMS id : 2018 / 00111

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा उपस्थिति में वादपत्र के कथनों पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 28–10–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार वादी द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.38 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्ते पूर्ण किया जाना पाये जाने पर आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 28 अक्टूबर, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		